यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, जखोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, जखोली, रूद्रप्रयाग** के माह **04/2012** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **25.10.2018** से **30.10.2018** तक श्री प्रेमचन्द्र वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- गढ़वाल परिक्षेत्र, जखोली, रुद्रप्रयाग

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	204.70	193.56	21.99	20.78	-	12.31
2016-17	-	-	230.50	173.83	29.65	24.57	-	60.42
2017-18	-	-	255.32	238.72	177.95	179.46	-	17.10
2018-19 (09/18)	-	-					-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
कानूनगो/भूलेख निरीक्षक (मैदानी/पर्वतीय)
राजस्व निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड कुमाऊँ परिक्षेत्र एवं अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाअधिकारी, जखोली, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह **03/2015**, **03/2016, 03/2017** एवं **09/2017** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर:01- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 1.42 लाख के राजस्व की हानि!

उत्तराखण्ड शासन मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्प्यूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है!

कार्यालय के ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी खटीमा के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2015 से दिनांक 25 अक्टूबर 2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील जखोली में कुल 12851 प्रमाण पत्रो हेतु बनाये गये। जिनमें से तहसील से 5521 प्रमाण पत्र जारी किये गये। उन लाभार्थियों से प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क रू 165630 शुल्क प्राप्त किये गये। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 7330 लाभार्थीयों को प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन किये गये। उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 78284 प्राप्त किये गये। इस प्रकार जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 219900 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन जन सुविधा केन्द्रो द्वारा केवल 19.32 प्रति लाभार्थियों से रू 141616 शुल्क कम प्राप्त किये गये। जिसके कारण विभाग को रू 1.42 लाख की राजस्व की हानि हुई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि इस कार्यालय को जन सुविधा केन्द्रों से शुल्क लिये जाने की कोई जानकारी नही है। शुल्क का निर्धारण शासन स्तर से होता है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि जन सुविधा केन्द्रों से शुल्क लिये जाने की सूचना प्रशासन को दी जानी चाहिए।

अतः ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 1.42 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः2- भूकम्प राहत की धनराशि का बैंक खाते में अवरोधन रू 8.54 लाख।

कार्यालय के बैंक खाता संख्या 11803232428 भारतीय स्टेट बैंक जखोली की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से रू 8.45 लाख की भूकम्प राहत की धनराशि बैंक खाते में वर्तमान तक अवरूद्ध रखा गई है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2007-08 से अब तक बैंक खाते में रखा गई है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि भूकम्प राहत की धनराशि वितरित करने के बाद अवशेष रहता तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

अत विगत 11 वर्षों से भूकम्प राहत की धनराशी रू 8.54 लाख का बैंक खाते में अवरूद्ध रखने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:03-</u>₹ 67,200 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः19 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह(पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000/प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती निर्धारित दर से नही की गयी है एवं जो अधिकारी राजकीय वाहन का उपयोग कर रहे है उनके वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

अधिकारी का नाम/पदनाम	अवधि		माह**x**लम्बित धनराशि	कुल धनराशि
	कब से	कब तक		
श्री देवमूर्ति यादव (उपजिलाधिकारी)	05/2017	10/2018	18x1600	28,800
श्रीमति शालिनी मोर्या (तहसीलदार)	11/2016 05/2017	04/2017 10/2018	06x400 18x2000	38,400
योग				67,200

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी.वी.आर. की कटौती पूर्व में ही की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:01- शासकीय धन की प्राप्ति को बिलम्ब से जमा किये जाना।

वित्तीय नियमानुसार जिस दिन शासकीय धन प्राप्त हो उसी दिन राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय के जमा अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों हेतु प्राप्त आवेदनों से प्राप्त धनराशि को 10 दिन से 6 माह तक बिलम्ब से जमा किया जा रहा है। और उक्त धनराशि को अपने पास नगद में रखा जा रहा हे। जो वित्तीय नियमों के विपरीत है। संलग्नक-1

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में समय से जमा किया जायेगा।

अतः शासकीय धन की प्राप्ति को बिलम्ब से जमा किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

क्रम सं0	नगद में प्राप्त की गई धनराशि अवधि	नगद में जमा की तिथि	जमा की गई राशि	विलम्ब से जमा माह/दिन
1.	05.07.15 से 16.08.15	17.08.15	19190	42 दिन
2.	18.08.15 से 09.08.15	10.09.15	62370	20 दिन
3.	11.09.15 से 04.10.15	05.10.15	20430	24 दिन
4.	06.10.15 से 19.05.16	20.05.16	19330	6 माह 14 दिन
5.	21.05.16 22.08.16	23.08.16	27598	3 माह 13 दिन
6.	24.08.16 21.09.16	22.09.16	24900	29 दिन
7.	23.09.16 04.10.16	05.10.16	13170	12 दिन
8.	05.10.16 13.12.16	14.12.16	5270	1 माह 8 दिन
9.	15.12.16 27.04.17	28.04.17	10810	4 माह 12 दिन
10	29.04.17 14.06.17	15.06.17	6180	2 माह 15 दिन
11	16.06.17 27.07.17	28.07.17	11926	1 माह 12 दिन
12	29.07.17 से 22.11.17	23.11.17	18150	4 माह 10 दिन
13	24.11.17 से 05.04.17	06.04.17	36000	3 माह 24 दिन
14	07.04.18 से 17.04.18	18.04.17	7680	10 दिन

STAN

<u>प्रस्तर:02</u>- राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना' हेतु तहसील स्तर पर तैयार किये गये रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया संदिग्धपूर्ण सत्यापन/निरीक्षण का प्रकरण।

राष्ट्रीय कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तहसील जखोली में कार्यरत लेखपालों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत तैयार करवायें गये अभिलेख जैसाः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02 एवं एच जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये गये है परन्तु तहसील स्तर पर उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये गये। जिसके परिणास्वरूप यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कितने रूपपत्र उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये है। तहसील स्तर पर रूपपत्रों का रख-रखाव से सम्बंधित पंजिका उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील के अन्तर्गत- 114 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01, 02 एवं एच का उपयोग किया गया है और कितने शेष है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित रुपपत्र मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहारादून को प्रेषित कर दिये गये है तथा भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम के उपयोगार्थ ऑकड़ों का उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये गये। तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित ऑकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों की विश्वासनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:03-</u> विविध देयो/आर०सी० की धनराशि रू 25.80 लाख की वसूली लम्बित।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, तहसील जखोली, रुद्रप्रयाग के विविध देयों/ आर०सीज० से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कि माह सितम्बर 2018 तक विविध देयों में रू 25.80 लाख के विविध देयों/आर०सीज० की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि लम्बित दायित्वो की वसूली कर ली जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, जखोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री शिव कुमार बरनवाल	उपजिलाधिकारी	01.04.2012	03.05.2012
2	श्री ललित नारायण मिश्र	उपजिलाधिकारी	04.05.2012	06.05.2012
3	श्री राकेश चन्द्र त्रिपाठी	उपजिलाधिकारी	07.06.2012	16.09.2012
4	श्री ललित नारायण मिश्र	उपजिलाधिकारी	17.09.2012	15.05.2013
5	श्री लक्ष्मी राज चौहान	उपजिलाधिकारी	16.05.2013	23.03.2015
6.	श्री देवमूर्ति यादव	उपजिलाधिकारी	23.03.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, जखोली, रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

उप महालेखाकार(सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" द्वितीय तल एल-218 कौलागढ़, उत्तराखण्ड़ देहरादून को प्रेषित की जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र